# शैक्षणिक कलैण्डर सत्र् 2023–24

| | | |
|---|---|---|
| 1. | एलएल0बी0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश फार्म वितरण करने की तिथि | – CUET का परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के भीतर |
| 2. | शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ | – 21–08–2023 से 31.12.2023 तक |
| 3. | प्रवेश फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि | – 31–08–2023 |
| 4. | एलएल0बी0 प्रथम वर्ष में साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि | – 21–08–2023 |
| 5 | शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि | – 21–08–2023 |
| 6 | प्रथम वर्ष में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि | – 31–08–2023 |
| 7 | अन्य कक्षाओं में प्रवेश की अन्तिम तिथि | – वि0 वि0 द्वारा परीक्षाफल घोषित होने के 10 दिन के अन्दर, |
| 8. | विश्वविद्यालय को परीक्षा फार्म भेजने की अनुमानित अन्तिम तिथि (बिना विलम्ब शुल्क के) | – 15.09.2023 से 15.10.2023 तक |

**<u>आवश्यक सूचना</u>**

1. विश्वविद्यालय / शासन / निदेशालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने पर उपरोक्त तिथि में तदनुसार संशोधन किया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरे जाते है अतः छात्र / छात्रायें परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि हेतु महाविद्यालय में निरन्तर सम्पर्क बनाये रखें।
3. छात्र / छात्राएं नवीनतम सूचना हेतु सूचना पट्ट अवश्य देखते रहें।

प्राचार्य,

# राजकीय विधि महाविद्यालय गोपेश्वर, चमोली (उत्तराखण्ड़)

Approved By Bar Council of India

Affiliated to H.N.B. Garhwal University, Srinagar Garhwal
(A central university)

E.Mail- lawcollegegpr2013@gmail.com Office phone No- 7037695767
College website : www.glcgopeshwar.org


## निर्देशिका

### सत्र 2023–24

उत्तराखण्ड राज्य के सीमान्त जनपद चमोली में विधि विषय में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सन् 1978 में उत्तर प्रदेश राज्य (वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य) द्वारा स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर (चमोली) में विधि संकाय की स्थापना की गयी।

उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश संख्या : 657/उच्च शिक्षा/2002 दिनांक 19 अगस्त 2002 एवं शासनादेश संख्या 247/उच्च शिक्षा 2003 दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के अधीन गोपेश्वर में एक पृथक विधि महाविद्यालय की व्यवस्था दी गई, जिसके फलस्वरूप राजकीय विधि महाविद्यालय स्थापित हुआ। यह महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इण्डिया नियमावली खण्ड–IV भाग ब नियम 11 के अन्तर्गत समूचे उत्तराखण्ड़ राज्य में विधि शिक्षा प्रदान करने हेतु शीर्ष व्यवस्था है। वर्तमान में राजकीय विधि महाविद्यालय हल्दापानी (गोपेश्वर) में स्थित नवनिर्मित विधि महाविद्यालय भवन में संचालित हो रहा है। यह महाविद्यालय निरन्तर प्रगति तथा विकास के पद पर अग्रसर है। विधि महाविद्यालय पुस्तकालय में विषय से संबंधित तथा विषयेत्तर संदर्भ ग्रन्थ, पाठ्य–पुस्तक, रेफरेन्स, टैक्सट बुक, 12 रिसर्च जर्नल्स तथा 18 विश्व कोष उपलब्ध हैं।

इस महाविद्यालय में एलएल0बी0 कक्षाओं का संचालन बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के मानकों के अनुरूप हे0न0ब0ग0वि0वि0 श्रीनगर गढ़वाल के नियमान्तर्गत 3 वर्ष की अवधि में 6 सेमेस्टरों में किया जाता है।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त छा़त्र–छात्राओं तथा अभिभवकों से अपेक्षा की जाती है कि शैक्षणिक गुणवत्ता के उन्नयन हेतु वे निरन्तर प्रयासरत रहेगें।

सत्र 2015–16 से गढवाल विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार एलएल0बी0 प्रथम सेमेस्टर में CBCS सिस्टम के अनुसार शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न पत्र में 30 अंकों का सत्रीय कार्य होंगे, जिसके लिए छात्र/छात्रा का कक्षा में नियमित उपस्थित रहना अनिवार्य है। 75% से कम उपथिति होने पर परीक्षा व सत्रीय कार्य में किसी भी दशा में बैठने नहीं दिया जायेगा। जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी।

**विधि कक्षाओं में प्रवेश निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा** :

1. विधि प्रथम वर्ष में 60 सीटों पर ही प्रवेश देय होगा।
2. विधि एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा।
3. प्रवेश नीति उत्तराखण्ड़ शासन के आदेशों के अनुरूप संचालित होगी जिसके अनुसार 90 प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य से तथा 10 प्रतिशत अभ्यर्थी अन्य प्रदेशों के लिये जायेंगे।

**व्याख्या :** उत्तराखण्ड़ प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी वही माने जायेंगे जिन्होंने उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहर किसी विश्वविद्यालय से प्रवेश हेतु मान्य (स्नातक) परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

4. सामान्य/आरक्षित एवं उत्तराखण्ड के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित स्थानों के अनुसार अलग– अलग योग्यता सूची तैयार की जाएगी जिसके अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।

**5. विधि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय का स्नातक या स्नातकोत्तर हो।सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु मान्य (स्नातक) परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हों। उत्तराखण्ड राज्य के अन्य परीक्षा वर्ग के अभ्यर्थी जिसने 42 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु यह योग्यता 40 प्रतिशत होगी।**

**व्याख्या :** 44.9% तथा 39.9% किसी भी हालत में 45% अथवा 40% नहीं माना जायेगा।

6. जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 पास किये बिना या स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि सीधे/किसी मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था द्वारा किसी भी मूल योग्यता के न होते हुए प्राप्त की हो तो वह विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे।

7. प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया में निर्धारित नही है।

8. विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर होगा तथा मेरिट की गणना करते वक्त निम्नलिखित भारांक (अतिरिक्त अंक) गिने जायेंगे।

क. विधि पाठ्क्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित होगी–जैसे अनुसूचित जाति के लिए 19%, अनुसूचित जनजाति के लिए 4% पिछड़ी जाति के लिए 14% और इसी प्रकार इसी के समान्तर प्रत्येक श्रेणी में आरक्षण होगा–30% महिलाओं के लिए और 2% भूतपूर्व सैनिकों के लिए और या उनके आश्रितों के लिए, 3% विकलांगों के लिए और 2%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षण होगा।

ख. विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को पाठ्यसहगामी क्रियाओं के लिए अधिकतम 5% का अधिभार निम्नलिखित क्रियाकलापों पर मिलेगाः–

I. एन0एस0एस0– बी प्रमाण–पत्र या 240 घंटे+दो विशेष शिविर–1% राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड–2%,(अधिकतम 2%)

II. एन0सी0सी0,–बी0 प्रमाण–पत्र–1%,एन0सी0सी0–सी प्रामाण–पत्र–2%,गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) में प्रतिभागिता–3%, राज्य/देश के पुरस्कृत एन0सी0सी0 कैडेट–3% (अधिकतम–3%)

III. भा0वि0सं0 जोनल द्वारा आयोजित युवा महोत्सव के अंतर्गत चयनित छात्र–2% राष्ट्रीय स्तर–3% (अधिकतम–3%)

IV. भा0वि0सं0 या संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त व्यक्तिगत–प्रथम 4% द्वितीय–3%, और तृतीय–2% और टीम –प्रथम–3%, द्वितीय– 2%, और तृतीय–1% (अधिकतम–3%)

9. अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक तथा दूसरी योग्यताओं को प्रमाणित करने के लिए सभी प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी तथा जिनकी जांच मूल प्रमाण–पत्रों के आधार पर साक्षात्कार के समय की जायेगी। मिथ्या व अपूर्ण सूचनाएं प्रस्तुत करने पर प्रवेश शून्य माना जायेगा।

10. **प्रवेश संबंधी व अन्य समस्त सूचनायें सूचना पट्ट पर ही उपलब्ध होंगी तथा महाविद्यालय अलग से सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होगा।**

11. 3 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम अधिकतम 6 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

12. भूवपूर्व छात्रों (Ex- Student) को प्रायोगिक कार्यों हेतु कैजुअल एडमिशन लेना होगा तथा रूपया 500 प्रति प्रश्न शुल्क जमा करना होगा। उक्त शुल्क में शासन/वि0वि0 द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

13. यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में ही इस महाविद्यालय के कॉलेज या इसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है ता उसे पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

14. प्रवेश संबंधित नियमावली में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशों के अनुसार कभी भी परिवर्तन हो सकता है। विधि पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु अंतिम निर्णय बार काउंसिल का होगा।

15. **अभ्यर्थी को विधि पाठ्यक्रम के साथ दूसरा कोर्स करने की अनुमति किसी भी दशा में नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो विधि की डिग्री निरस्त कर दी जायेगी।**

## अतिरिक्त आवश्यक निर्देश :–

**1.** अभ्यर्थी के पास एक ही निगेटिव के दो पास पोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ होने चाहिए जिनमें से एक प्रवेश आवेदन–पत्र तथा दूसरा परिचय पत्र लगाना होगा। दोनों फोटो समरूप होने चाहिए, भिन्न फोटो मान्य नहीं होगा।

2. विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु दी गई समय–सीमा के भीतर स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही शून्य माना जायेगा तथा उस दशा में मैरिट में अगले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा। उससे किसी भी प्रकार का अनुबन्ध/शपथ पत्र मान्य नहीं होगा।

3. काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत होंगे।

4. अभ्यर्थी को महाविद्यालय द्वारा दी गई काउन्सिलिंग की तिथि पर ही समिति के समक्ष दस्तावेज मूलरूप से प्रस्तुत करना होगा। किसी दशा में तिथि परिवर्तन संभव नहीं होगा।

5. अभ्यर्थी महाविद्यालय से प्राप्त की गई प्राप्ति रसीद पत्र सहित प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत होंगे। प्राप्ति रसीद प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अर्ह नहीं होगा।

6. प्रवेश आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से स्पष्ट व स्वच्छ तथा स्वयं हस्तलिपि में भरा होना चाहिए तथा प्रवेश आवेदन–पत्र जमा करने की निर्धारित विधि तक सम्पूर्ण (प्रवेश आवेदन–पत्र प्राप्त रसीद में अंकित 1 से 11 एवं अन्य) संलग्नकों सहित जमा करना आवश्यक होगा। प्रवेश आवेदन पत्र में कोई भी प्रविष्टि अंकित न होने की स्थिति तथा क्रमांक 1 से 11 तक किसी भी प्रपत्र के न होने की दशा में आवेदन–पत्र रद्द माना जायेगा तथा अभ्यर्थी को काउंन्सिलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

7. इस महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध होने के कारण यदि रैगिंग की कोई शिकायत महाविद्यालय प्रशासन को प्राप्त होती है तो उस पर आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। उस सन्दर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा शपथपत्र प्रवेश के समय जमा करना होगा। महाविद्यालय की निर्देशिका में संलग्न एंटी रैगिंग के दोनों शपथ–पत्र भरा जायेगा।

## ड्रेस कोडः–

भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) के पत्रांक BCID;296/2015(item no.45/2015-D/LE:MTG.18.10.2015 दिनांक 07.04.2016 के अनुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड अनिवार्य है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को वर्ष भर कक्षाओं में निर्धारित ड्रेस में आना अनिवार्य है।

## उपस्थिति सूचना–

विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार प्रत्येक संस्थागत छात्र/छात्रा की कक्षाओं में 75ः उपस्थिति अनिवार्य है। छात्र/छात्रा को प्रत्येक समेस्टर में उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति देनी होगी अन्यथा उसका परीक्षा फार्म अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित छात्र/छात्रा की होगी। अनुपस्थिति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी। अभ्यर्थी को पृथक से सूचित नहीं किया जायेगा।

## छात्रवृत्तियाँः–

महाविद्यालय में अध्ययनरत एलएल0बी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग एवं विकलांग छात्र/छात्राओं को उत्तराखण्ड शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इनके सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं सूचना समय–समय पर सूचना पट्ट पर दी जाती है। अतः छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि सूचना पढ़कर यथासमय तदनुसार कार्यवाही करें।

## अनुसूचित जाति,जनजाति ,पिछडी जाति एवं विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृतिः–

यह छात्रवृत्ति निर्धारित शासनादेशों के अनुरुप जिला समाज कल्याण विभाग से प्रदान की जाती है। छात्रों को छात्रवृत्ति का आवेदन करना होता है तथा उसकी 01 प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होती है। आवेदकों के माता/पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित मान्य विभिन्न आरक्षित वर्गों के नियमानुसार होंगी। काउन्सलिंग से चयनित छात्रों को ही यह छात्रतृत्ति देय है छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति आवेदन करते समय CBS बैंक खाता संख्या (IFSC कोड सहित) देना आवश्यक है।

## पुस्तकालय :–

महाविद्यालय पुस्तकालय से छात्रों को प्रातः 10.00 बजे से 4.00 बजे के मध्य पुस्तकें मिलेगी। पुस्तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित मांग पत्र भरकर पुस्तकालयाध्यक्ष को दे देना चाहिए। उसके लिए छात्र को अपना पुस्तकालय पत्र और परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना पुस्तकें नहीं मिलेगी। छात्रों को पुस्तकालय पत्र पर एक समय में कुल मिलाकर 05 ही पुस्तकं मिलेगी। पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा विभाग प्रभारी द्वारा मांगे जाने पर छात्र को निर्गत पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकों को सुरक्षित दशा में रखने की जिम्मेदारी होगी अथवा डेढ़ गुना मूल्य जमा करना होगा। जर्नल या संदर्भ पुस्तकें अध्ययन कक्ष (वाचनालय) में पढ़ी जा सकेंगी। सभी पुस्तकों को परीक्षा आरम्भ होने से पहले लौटाना होगा।

**निर्देश :** पुस्तकालय की समस्त पुस्तक अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व लौटानी होगी अथवा पुस्तकों का डेढ़ गुना मूल्य जमा करना होगा।

**वाचनालय (रीड़िग रूम)** :—

छात्रों के लिए दैनिक पत्र एवं विधि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र—पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। वाचनालय में विधि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तकें, पत्रिकायें उपलब्ध हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये उपयुक्त पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का सुझाव मिलने पर और पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उन्हें क्रय किया जायेगा।

## क्रीडा एवं खेलकूद :—

महाविद्यालय में पर्याप्त छात्र संख्या होने पर बाह्य व आन्तरिक क्रीडाऐं आयोजित की जायेगी, उपर्युक्त प्रबन्ध तथा खेलों की व्यवस्था है। छात्र—छात्रायें इसका पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं।

## विभागीय परिषद :—

विभाग में एक विभागीय परिषद् होगी और उस विभाग के समस्त छात्र—छात्रा परिषद् के सदस्य होगें। विभागीय परिषद् के तत्त्वावधान में निबन्ध एवं वाद—विवाद प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्यान्य उपयोगी कार्य—कलाप संचालित किये जायेगें।

**महाविद्यालय पत्रिका :—**महाविद्यालय में पत्रिका का प्रकाश किया जायेगा। छात्र संख्या कम होने तथा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण महाविद्यालय में पत्रिका का प्रकाशन नहीं हो पाया, भविष्य में पत्रिका का प्रकाशन किया जायेगा।

## स्थानान्तरण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र :—

इसके लिए छात्र को निर्धारित फार्म पर प्राचार्य को प्रार्थना—पत्र देना चाहिए। स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र के लिए रू0 2.00 शुल्क जमा करना होता हैं। सामान्यतः प्रार्थना पत्र देने के तिथि के एक सप्ताह बाद ये प्रमाण पत्र दिये जायेंगे प्रमाण पत्र मुख्य शास्ता (चीफ प्रोक्टर) की संस्तुति पर दिये जायेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र पूरे शिक्षा सत्र में दो ही बार दिया जायेगा। प्रथम 6 महीने में अध्ययनरत का तथा दूसरा परीक्षाफल निकलने के बाद।

## अनुशासन मण्डल :—

महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये अनुशासन मण्डल है। प्रत्येक छात्र को अपना परिचय—पत्र अनुशासन मण्डल से प्राप्त कर हर समय अपने पास रखना होगा। परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में पुस्तकालय से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही 20 रू0 शुल्क जमा करने के बाद पुनः बनवाना होगा।

## निषिद्ध कार्य :–

1. प्राचार्य अनुशासन मण्डल एवं प्राध्यापकों द्वारा मांगने पर परिचय–पत्र प्रस्तुत न करना।

2. महाविद्यालय में मुख्य भवन के ऊपर तथा नीचे की गैलरी में चिल्लाना, सीटी बजाना, हल्ला करना, शिक्षण कक्षों के दरवाजे खटखटाना या खोलना।

3. महाविद्यालय के मुख्य भवन के भीतरी एवं बाहरी दीवारों, परिसर की दीवारों, बोर्डो एवं शिक्षण कक्षों आदि पर किसी प्रकार रंगना, लिखना या पोस्टर चिपकाना जिसमें भवन या परिसर गन्दा दिखता हो।

**4. महाविद्यालय में विद्युत फिटिंग, फर्नीचर आदि की तोड़–फोड़ परिसर के वृक्षों या बगीचे के पौधों को नुकसान पहुँचाना तथा महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार से क्षति पहुँचाने की चेष्ठा करना।**

5. महाविद्यालय के सूचनापट्टों पर बिना प्राचार्य की अनुमति के छात्रों द्वारा नोटिस चिपकाने की चेष्टा।

6. प्राचार्य की अनुमति के बिना घण्टी बजा देना, छात्रों को शिक्षण कक्षों से निकालने की चेष्टा, सभा या भाषणबाजी करना, या जलूस आदि निकालने की चेष्टां

7. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना–उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य अपराध घोषित किया जा चुका है। रैगिंग की सूचना मिलने पर तथा दोष साबित होने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा का निष्कासन महाविद्यालय से तत्काल किया जायेगा।

8. जाली हस्ताक्षर, जाली या झूठा प्रमाण–पत्र एवं झूठा बयान प्रस्तुत करना।

9. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावासों में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थो का सेवन करना।

10. कक्षाओं में च्यूंगम, पान मसाला तथा मोबाइल फोन का प्रयोग करना।

11. महाविद्यालय भवन की गैलरियों तथा परिसर में थूकना।

12. बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निषिद्व अन्य गतिविधियॉ/कार्य करना।

**13. एलएल0बी0 एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम है अतः महाविद्यालय में छात्र संघ का कोई प्रावधान नहीं हैं। प्रत्येक** छात्र/छात्रा/प्रवेशार्थी को इसका कडाई से अनुपालन करना होगा।

उपर्युक्त अनुशासनहीनता में दोषी पाये जाने वाले छात्र–छात्रा को गंभीर अनुशासन हीनता का दोषी माना जायेगा जिसका दण्ड महाविद्यालय से निष्कासन भी हो सकता है।

## रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंधित सम्बन्धी निर्देश :–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक एफ–1–16/2007(सी.पी.सी.–4) दिनांक 17 जून 2009 एवं निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक डिग्री सेवा 3237–3316/2009–10 दिनांक 29 जुलाई 2009 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार महाविद्यालय में रैगिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय परिसर अथवा परिसर के बाहर रैगिंग में संलिप्त विद्यार्थी को तत्काल महाविद्यालय से निष्कासित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

**उक्त के सन्दर्भ में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी को यू0जी0सी0 की वेबसाइट पर एन्टी रैंगिंग पोर्टल www.antiragging.in पर स्वयं अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, पंजीकरण की एक प्रतिलिपि महाविद्यालय में जमा करनी होगी एवं इस आशय का अभिभावक व छात्र/छात्रा द्वारा विवरणिका में संलग्न एन्टी रैगिंग फार्म भरकर जमा करना होगा।**

अतः महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के समस्त प्रवेशार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रवेश आवेदन पत्र पर निर्धारित प्रारुप के अनुरुप शपथ पत्र बनवाकर नत्थी कर लें।

महाविद्यालय में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में रैगिग विरोधी समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) एवं एंटी रैगिंग स्क्वायड का गठन किया गया है, जिसमें प्राचार्य, अध्यक्ष तथा सदस्य के रुप में उपजिलाधिकारी चमोली थानाध्यक्ष गोपेश्वर, मुख्य शास्ता छात्रावास अधीक्षक महाविद्यालय के बरिष्टतम प्राध्यापक,मीडिया स्थानीय संवाददाता के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं ।

रैगिंग सम्बन्धी सूचना महाविद्यालय के दूरभाष नं0 7037695767 एवं उपर्युक्त एंटी रैगिंग समिति के सदस्यों को सूचित कर सकते है ।

## पूर्व छात्र समुदाय (ALUMNI) :–

वर्ष 2015 से महाविद्यालय के हित में पूर्व छात्र संगठन (ALUMNI) के गठन का प्रयास किया जा रहा है। एतदर्थ महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके बड़े भाई/बहिन/अभिभवक अथवा संबंधी इस महाविद्यालय के छात्र रहे हों तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत हों, तो उनकी सूचना महाविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे एवं उसके लिया संलग्न निर्धारित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में जमा करेंगे।

## स्थानान्तरण :–

**विश्वविद्यालय द्वारा एलएल0बी0 तीन वर्षीय डिग्री कोर्स हेतु नियमावली में अंकित नियम 15 के अनुसार एलएल0बी0 में प्रवेश के पश्चात् यह कोर्स इसी महाविद्यालय से पूर्ण करना होगा तथा दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इस नियमावली में नियम 14 के अनुसार डिग्री पूर्ण करने की समय–सीमा अधिकतम 3 से 6 वर्ष तक की होगी तथा इस समयावधि में कोई भी डिग्री डिप्लोमा करने की अनुमति नहीं होगी।**

## अभ्यर्थियों हेतु विशेष सूचना :–

1. बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के दिशा– निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय नियमावली के संशोधित नियम–15 के अनुपालनार्थ प्रत्येक छात्र/छात्रा को आवेदन के साथ एक नॉन जुडिशियल नोटरी पब्लिक/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय को एफिडेविट हलफनामा आनिवार्य रूप से देना होगा कि महाविद्यालय से विधि पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान वह इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई अन्य डिग्री या डिप्लोमा कोर्स नहीं कर रहा हैं तथा वह किसी सेवा में नियोजन नहीं है और अध्ययन के दौरान नियोजित नहीं होगा। यदि ऐसा होता है ता उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही स्वतः शून्य माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी ने उपाधि प्राप्त कर ली हो तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा वापस ले लिया जायेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

कोई भी सरकारी, गैर सरकारी या किसी भी प्रकार की सेवा करते हुए अभ्यर्थी विधि में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी यह काम अपने जोखिम पर करता है तो पता चलने पर उसका प्रवेश शून्य माना जायेगा तथा ऐसी दशा में किसी भी अभ्यर्थी की डिग्री बार काउंसिल के समक्ष मान्य नहीं होगी एवं रद्द समझी जायेगी।

**नोट– उपरोक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर जो परिवर्तित सूचना/निर्देश चस्पा किया जाएगा प्रत्येक छात्र/छात्रा/प्रवेशार्थी को उसका अनुपालन करना होगा।**

2. प्रत्येक छात्र/छात्रा को निम्नलिखित सूचना आवेदन पत्र के साथ पूर्ण रूप से भरकर अवश्य संलग्न करनी होगी।

कक्षा का नाम–.................................................................................................................................

छात्र/छात्रा का नाम.........................................................................................................................

पिता/पति का नाम...........................................................................................................................

स्थायी पता.....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

पत्राचार का पता..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ई–मेल आईडी..................................................................................................................................

मोबाइल नं0 (स्वयं का).......................................................................................................................

अभिभावक (माता या पिता) का मो0नं0....................................................................................................

---

## घोषणा

मैं..........................................जो कि महाविद्यालय में एलएल0बी0.....................सेमेस्टर का संस्थागत छात्र हूँ मेरी जानकारी में उपरोक्त सूचनाऐं सही है व ठीक भरी गयी है यदि इनमें से काई गलत सूचना पायी जाती है तो मैं उसके लिए उत्तरदायी रहूँगा। महाविद्यालय मेरे विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। महाविद्यालय द्वारा मेरे उपरोक्त पते/ई–मेल आई डी पर किये गये पत्राचार मुझे स्वीकार्य होंगे। मै महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्देशित नियम/निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी तथा महाविद्यालय सूचना पट्ट पर दी गई सूचना मुझे मान्य होगा/होगी।

दिनांक हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

# शुल्क –विवरण

**शासनादेश एवं निदेशालय के निर्देशों के अनुपालन में निम्नवत शुल्क देय होंगे जो वर्ष में एक ही बार प्रवेश के समय देय होगा।**

**राजकोषीय शुल्क (वार्षिक)**

| | |
|---|---|
| 1. प्रवेश शुल्क | रू0 03.00 |
| 2. शिक्षण शुल्क | रू0 900.00 |
| 3. विकास शुल्क | रू0 20.00 |
| 4. महंगाई शुल्क | रू0 240.00 |
| 5. पुस्तकालय शुल्क | रू0 10.00 |

**विश्वविद्यालय निधि :**

| | |
|---|---|
| 1. नामांकन शुल्क | रू0 150.00 (समस्त नये प्रवेशार्थी) |
| 2. परीक्षा शुल्क एलएल0बी0 प्रतिसेमेस्टर | रू0 650.00 (प्रति सेमेस्टर) |
| 3. प्रयोगात्मक शुल्क | रू0 200.00 (प्रति सेमेस्टर) |
| 4. परीक्षा शुल्क (भूतपूर्व) | रू0 1100.00 (प्रति सेमेस्टर) |
| 5. उपाधि शुल्क | रू0 170.00 (अन्तिम सेमेस्टर ) |
| 6– अंक सुधार परीक्षा प्रति पेपर | रु0 250.00 |

**महाविद्यालय निधि शुल्क (वार्षिक) :–**

| | |
|---|---|
| 1. परिचय पत्र | रू0 25.00 |
| 2. वाचनालय | रू0 50.00 |
| 3. निर्धन छात्र सहायता | रू0 10.00 |
| 4. पत्रिका | रू0 60.00 |
| 5. प्रतिभूति राशि (नया विद्यार्थी) | रू0 500.00 |
| 6. विभागीय परिषद | रू0 150.00 |
| 7. विविध मरम्मत | रू0 60.00 |
| 8. प्रांगण विकास | रू0 100.00 |
| 9. कम्प्यूटर नेट / रखरखाव | रू0 50.00 |
| 10 क्रीडा | रू0 150.00 |
| 11. विद्युत शुल्क | रू0 50.00 |
| 12. प्रयोगात्मक | रु0 400.00 |
| 13. रोवर रेंजर्स शुल्क | रू0 60.00 |

**नोट– एलएल0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयु सीमा एवं शुल्क में विश्वविद्यालय / बार काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा उत्तराखण्ड सरकार के नियमानुसार परिवर्तन किया जायेगा ।**

# महाविद्यालय परिवार
# (सत्र् 2023–24)

**1. प्राचार्य –** **श्री राजेश कुमार (प्रभारी)**

**2. प्राध्यापक :**

1. श्री राजेश कुमार, – असिस्टैंट प्रोफेसर,
2. डॉ0 विपिन चन्द्र चौबे, – असिस्टैंट प्रोफेसर
3. श्री अमित कुमार मिश्र, – असिस्टैंट प्रोफेसर
4. श्रीमती अन्जू रानी, – असिस्टैंट प्रोफेसर
5. डॉ0 बिपिन चन्द्र नौटियाल, – असिस्टेंट प्रोफेसर
6. डॉ0 दिनेश कुमार शर्मा, – असिस्टेंट प्रोफेसर
7. श्री तरूण कुमार, – असिस्टेंट प्रोफेसर

**3. शिक्षणेत्तर कर्मचारी**

1. प्रधान सहायक – श्री महेन्द्र सिंह
2. सहा0 पुस्तकालयाध्यक्ष – श्री अनूप डिमरी,
3. कनिष्ट सहायक – पद रिक्त,
4. श्री जीत सिंह भण्डारी, – अनुसेवक,

5 श्री सुनील कुमार मैन्दोली, – कनिष्ट सहायक (उपनल, कर्मचारी राज0महावि0घाट सम्बद्ध)

6. श्री सुरेन्द्र सिंह, – डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, (उपनल)

7. श्री योगम्बर सिंह – अनुसेवक (उपनल)

7. निशा, – सफाईकार (उपनल)

8. श्री कुशलानन्द पुरोहित – चौकीदार (पी0आर0डी0)

## छात्र–छात्राओं के समस्याओं के निराकरण हेतु महाविद्यालय में निम्न समितियां/सैल गठित है,

**1.एन्टी रैगिंग समिति,**

1– डॉ0 विपिन चन्द्र नौटियाल –संयोजक

2– डॉ0 दिनेश कुमार शर्मा –सदस्य

3– डॉ0 तरूण कुमार –सदस्य

**2. महिला शिकायत/उत्पीड़न समिति,**

1– श्रीमती अन्जू रानी –संयोजक

2– डॉ दिनेश कुमार शर्मा –सदस्य

3– डॉ0 तरूण कुमार –सदस्य

**3– अनुशासन /शास्ता समिति**

1– श्री अमित कुमार मिश्र –संयोजक

2– श्रीमती अंजू रानी –सदस्य

3– डॉ0 तरूण कुमार –सदस्य

**4–विधिक सहायता केन्द्र समिति**

1– डॉ0 तरूण कुमार –संयोजक

2–डॉ0 बिपिन चन्द्र नौटियाल –सदस्य

3–डॉ0 दिनेश कुमार शर्मा –सदस्य

संलग्नक–1

## अभ्यर्थी का शपथ प्रमाण–पत्र

1. अभ्यर्थी / छात्र का घोषणा पत्र मैं पुत्र / पुत्री.............................................................................................................
श्री / श्रीमती / सुश्री ....................................................................................................................... ने
रैगिंग निषेध के विधि / उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय / राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम– 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।

2. मैंने मुख्य रूप से विनियम–3 को पढ लिया है, समझ लिया है और मैं ये जानता / जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।

3. मैंने धारा–7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया हैं। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी का उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हॅू तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4. मैं निश्चिय पूर्वक यह प्रयत्न करूंगा कि–

**क**. मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा–3 विनियम में उल्लिखित है उसमें भाग नहीं लूंगा / लूंगी।

**ख**. मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूंगी / लूंगी जो कि रैगिंग की धारा–3 विनियम के अन्तर्गत आता है।

5. मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा / लूंगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूंगा / करूंगी।

6. मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया / गयी तो मुझा विनियम–9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत अपराधिक गतिविधियों में मेरे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

7. मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि मेरे विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर.................................... दिन.................................. महिना................................................वर्ष.........................

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

### शपथ प्रमाण–पत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात पाया गया कि शपथ पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को नहीं छिपाया है, न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित........................स्थान............................दिन..............................................महिना.................................वर्ष.......................

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ–पत्र में दिया गया तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तो को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किये।

शपथ आयुक्त

संलग्नक–2

# माता–पिता/अभिभावक का शपथ –पत्र

1. मैं.............................................................................................. पिता/माता/अभिभावक.............................................. ..............................................रैगिंग निषेध के विधि तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देश को केन्द्रीय/राज्य सरकारो के इससे सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम–2009 से उल्लिखित प्राविधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2. मैंने खासतौर से विनियम–3 को पढ़ लिया है, समझा लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।

3. मैंने धारा–7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी भी तरह के रैंगिंग के लिए उकसाता हूं या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है तो प्रशासन मेरे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4. मैं शपथ पूर्वक निश्चय करता हूँ कि–

क– मैं किसी तरह की रैगिंग जो कि धारा–3 विनियम में उल्लिखित है उसमें भाग नहीं लूंगा/लूंगी।

ख– मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं नहीं लूंगा/लूंगी जो कि रैगिंग की धारा–3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।

5. मैं यह घोषित करता/करती हूं कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पायी गयी तो मुझे विनियम–9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत अपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र/पुत्री के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं यह घोषित करता/करती हूं कि विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर........................... दिन................................ महिना................................ वर्ष..........................................

अभिसाक्षी(गवाह) के हस्ताक्षर
नाम–
पता–
दूरभाष नं0–
सत्यापन–पात्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात पाया गया है कि शपथ पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को नहीं छिपाया है, नहीं गलत बयान दिया है।

सत्यापित .......................................स्थान..............................दिन...........................महिना...............................वर्ष....................

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ–पत्र में दिन ......................... महिना.................................वर्ष.......................... दिया गया तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तो को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किये।

शपथ आयुक्त